बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/   पटना, दिनांकः–..............................

सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– आदर्श काष्ट कर्मशाला सारण, (छपरा) के परिसर में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत ₹700.00 लाख (सात करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा प्रस्तुत मॉडल प्रोजेक्ट के अनुरूप तकनीकी अनुमोदित पी0पी0आर0 के आधार पर आदर्श काष्ट कर्मशाला सारण, (छपरा) के परिसर में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत ₹700.00 लाख (सात करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उद्योग विभागीय पत्रांक–2871, दिनांक–05.08.2016 द्वारा आदर्श काष्ट कर्मशाला सारण (छपरा) के 47 डिसमिल भूखण्ड/भवन को साज–सज्जा के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, छपरा को हस्तानान्तरित किया गया था, जिसे विभागीय पत्रांक सं0–4557, दिनांक–14.12.2018 द्वारा निरस्त की गयी है।

3. उक्त प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) का निर्माण कार्य आदर्श काष्ट कर्मशाला सारण (छपरा) के परिसर में उपलब्ध भूखण्ड 17730 वर्ग फीट में अनुमोदित नक्शा के अनुरूप किया जायेगा। जिसका कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को नामित किया गया है।

4. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2018–19 में **मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख–रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं0–23, विपत्र कोड–23-2852.80.102.0163 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0163. 27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित** राशि से विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना के पी0एल0ए0 खाता सं0–268 में उपलब्ध करायेंगे।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

7. राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म सं0–46 पर की जायेगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244, दिनांक–02.08.10 एवं पत्रांक–500, दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, का अनुमोदन संचिका संख्या–*03/उ0नि0/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018*, के **पृष्ट–03/टि0** पर दिनांक–05.12.2018 को प्राप्त है। जिसका **गै0स0प्रे0 संख्या–331/IDC**, दिनांक–**03.12.2018** है।

क्रमशः पृष्ट–02

D:drive suieet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------216

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/उ0नि0/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018 के पृष्ट–07/टि0 पर दिनांक–12.12.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
संoसंo–03/उ0नि0/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
संoसंo–03/उ0नि0/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
संoसंo–03/उ0नि0/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4631 /
संoसंo–03/उ0नि0/विविध(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)–07/2018
पटना, दिनांक 18.12.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/उप विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास अभिकरण, छपरा/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.18
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।